अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

प्रेमकंवर बनाम रामसिंह वगैरह

किस्म मुकदमा – 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या : 2024/254 (पुष्कर)

रिमांड 23/10/24

श्री श्रवण सिंह गौड एडवोकेट

प्रेमकंवर बनाम रामसिंह वगैरह (2024/254)

23.10.2024

यह अपील श्री श्रवण सिंह गौड एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 23/2019 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2024 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बावत कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गैर–कानूनी रूप से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2024 को उक्त आदेश प्रदान कर रेस्पोडेन्टस को अपीलांटस की खातेदारी कब्जेशुदा आराजीयात में नाजायज दखलअंदाजी मदाखलत उत्पन्न किये जाने से पाबंद किया जावे तथा विवादित आराजीयात बाबत विशिष्ट भू–भाग को रहन, बय, बेचान, मुंतकिल तथा अन्यत्र हस्तांतरण तथा निमार्ण किये जाने की खुली छूट प्रदान कर रेस्पोडेन्टस उक्त अविधिक आदेश की आड में प्रार्थीगण की कब्जे शुदा की आराजीयात में दखलअंदाजी मदाखलत उत्पन्न करने पर आमादा हो रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला अपील आराजीयात बाबत रेस्पोडेन्टस को नाजायज दखलअंदाजी, मदाखलत उत्पन्न किए जाने से पाबंद किया जावे तथा विवादित आराजीयात बाबत विशिष्ट भू–भाग को रहन, बय, बेचान, मुंतकिल तथा अन्यत्र हस्तांतरण तथा निर्माण किए जाने से पाबंद किया जावे व विवादित आराजीयात बाबत राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश फरमावें।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति एवं अपील का अवलोकन किया। बाद अवलोकन अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02/12/2019 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने का आदेश दिये जाकर आगामी पेशी दिनांक 01.01.2020 नियत की गई। दिनांक 01.01.2020 को अप्रार्थी संख्या 01 से 04, व 08 उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु समय चाहा गया एवं आगामी पेशी दिनांक 29/01/2020 नियत की गई। दिनांक 26.02.2020 को अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से श्री जगदीश चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश करने हेतु समय चाहा तथा आगामी पेशी दिनांक 06.05.2020 नियत की गई। तत्पश्चात प्रकरण में निरंतर तारिख पेशी नियत की गई। दिनांक 15.03.2021 को अप्रार्थी संख्या 01, 02 की ओर से जवाब पेश किया। तत्पश्चात निरंतर तारिख पेशी दी गई। दिनांक 04.09.2024 को प्रार्थीगण की ओर से श्री एन0एस0राजावत एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 151 जा0दी0 पेश किया, अप्रार्थी द्वारा जवाब हेतु समय चाहा। उक्त आदेश दिनांक 04.09.2024 के विरूद्ध यह अपील पेश की है। जो सामान्य परिस्थितियों में न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं है।प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं फिर भी हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक

Scanned with CamScanner

व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को निर्देशित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाव/ सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

Scanned with CamScanner